न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37 / 2014 (राजसमन्द डिक्री)

इन्द्रसिंह पिता नरसिंहदान उर्फ नाहरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पारस कुंवर पत्नी रतनसिंह जी राजपूत, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती स्नेह कुंवर पत्नी तेजसिंह जी राजपूत, निवासी मदारा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारायणसिंह पिता नरसिंहदान उर्फ नाहरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. भेरूसिंह पिता नरसिंहदान उर्फ नाहरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. वासुदेवसिंह पिता नारायणसिंह जी चारण, निवासी एकलगढ़, तहसील सीतामाऊ, पोस्ट डीयाखेड़ा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
6. बहादुरसिंह पिता नारायणसिंह जी चारण, निवासी एकलगढ़, तहसील सीतामाऊ, पोस्ट डीयाखेड़ा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)
7. श्रीमती प्रका ा कुंवर पिता नरसिंहदान पत्नी छतरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती फूल कुंवर पिता नरसिंहदान पत्नी छतरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
9. श्रीमती नेन कुंवर पिता भंवरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
10. खेचीदान पिता भंवरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
11. जयसिंह पिता भाम्भूदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
12. मनोहरसिंह पिता भाम्भूदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested

13. अमरसिंह पिता भाम्भूदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

14. रामसिंह पिता भाम्भूदान जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

15. श्रीमती रतन कुंवर पत्नी अमरसिंह जी चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

16. श्रीमती पारस कुंवर पत्नी डूंगरसिंह जी चारण, निवासी मुजरास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज.)

17. श्रीमती मान कुंवर पत्नी वरदीसिंह जी चारण, निवासी वरदडा, वाया कालडी, जिला सिरोही (राज.)

18. श्रीमती हंसा कुंवर पत्नी भंवरसिंह जी चारण, निवासी राबचा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

19. भूमिधारी तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 06.06.2014 प्र.सं. 267/2013

———/———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1— श्री संजय बोहरा अभिभाशक अपीलान्ट
2— श्री मुके ा भार्मा अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1, 2
3— श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक रे.सं. 19

———::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 14—12—2021</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन व स्थायी निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गुडली में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां स्थित हैं, जिसके खसरा नंबर 59 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा होकर उसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 17 का 1/3 हिस्सा है। उक्त भू[illegible]ट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि विकास [illegible] होता है। अतः वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे एवं स्थायी निशेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06–06–2014 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–11–2014 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री मुके ा भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 19 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रथम बार दिनांक 19–11–2014 को हुई, तत्प चात नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर करने के दृश्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट का कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन अधिनस्थ ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने वक्त बहस बताया कि अपीलान्ट द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है। जहां तक गुणावगुण का प्र न है, अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन जारी करने के बाद उनके अनुपस्थिति रहने से प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार राजसमन्द को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौका कमि नर नियुक्त किया है, जो विधि सम्मत हैं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के इसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट के भाई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 नारायणसिंह द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 40/2014 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अपीलान्ट इन्द्ररसिंह रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के रूप में संस्थित था। उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया गया है, जिससे अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु अपीलान्ट द्वारा वहां अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जो उसकी उदासीनता को द र्ाता है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि प्र नगत प्रकरण में दिनांक 08–03–2019 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री भी जारी कर दी गयी है, जिससे अब प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तद्नुसार हम अपील को सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06–06–2014 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 14–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

इन्द्रसिंह पिता नरसिंहदान उर्फ नाहरसिंह बनाम **श्रीमती पारसकुंवर पत्नी रतनसिंह**
चारण, निवासी गुडली, तहसील व जिला राजपूत, निवासी मदारा, तहसील
जिला राजमसन्द व जिला राजमसन्द व अन्य

अपील नं.....**37 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **राजसमन्द** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....06**.....माह.....**06**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री संजय बोहरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मुके ा भार्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06–06–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....**2021**
को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:42 IST
Reason: SelfAttested